

आदेश

सत्र 2007-08 में महिला क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है -

क्र. सं.	पत्रा. सं०	संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	विषय एवं संकाय (स्नातक स्तर)
1	15	मनिन्द्र बाल निकेतन समिति, घनाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू	मनिन्द्र गर्ल्स कॉलेज, घनाना, त. चिडावा, जिला झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजस्थानी, बोकेशनल कोर्स कम्प्युटर एप्लीकेशन
2	12	स्व.कु. लक्ष्मी बंधाला शिक्षण एवं शोध संस्थान, गोविन्द गढ, जि० जयपुर	स्व.कु. लक्ष्मी बंधाला गर्ल्स कॉलेज, गोविन्दगढ, जि० जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, बोकेशनल कोर्स कम्प्युटर एप्लीकेशन, संस्कृत साहित्य विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नालाजी, बायोकेमिस्ट्री
3	20	राधाकृष्णन शिक्षण समिति, 49, लक्ष्मीनगर, श्रीगंगानगर	राधाकृष्णन कन्या महाविद्यालय, गगनपथ, जवाहर नगर (अरोड वंश भवन), श्रीगंगानगर	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, संस्कृत साहित्य एवं बी.सी.ए., बी.बी.ए.
4	6	न्यू लुक स्कूल सोसायटी, न्यू लुक स्कूल, कोठारी हबेली, ओसवाल बाडा, बांसवाडा	न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज, लोधा परिसर, बांसवाडा	एम.एल.एस. विश्वविद्यालय उदयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, संगीत वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - ईएफएम, एबीएसटी, व्यावसायिक प्रशासन विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नालाजी, बायोकेमिस्ट्री

- संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे । तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा ।
- संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
- अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्धकी कक्षाएँ चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है । इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे ।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।


8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/ महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
10. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय को प्रति वर्ष 1 जुलाई से 30 सितम्बर के बीच आवेदन करना होगा ।
11. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/ महाविद्यालय द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा ।
12. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
13. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा ।
14. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।
15. तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक है ।
16. संस्था को महाविद्यालय का वर्ष में एक बार निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा, इस हेतु संस्था द्वारा इस विभाग को सूचित करना होगा ।
17. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
18. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

दि 09 मई, 2007

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/1702
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर/ एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(युप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर/ झुंझुनु/ श्रीगंगानगर/ बांसवाडा ।
8. सम्बन्धित महाविद्यालय ।
9. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली ।
12. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्ते-निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।